Q. No. 14 → अंश तथा ऋण पत्र में अंतर बताबें।

Shares & Debentures

उत्तर → अंश तथा ऋण पत्र में निम्नलिखित अंतर हैं :-

अंतर का आधार	अंश	ऋण पत्र
1. स्वरूप	अंश कम्पनी की अंश-पूँजी का एक भाग होता है।	यह कम्पनी द्वारा लिए गये ऋण के रूप में होता है।
2. लाभ में हिस्सा	इसके धारक को कम्पनी के लाभ में हिस्सा पाने का अधिकार होता है।	इसके धारक को तो केवल नियत दर से ब्याज मिलती है, लाभ में हिस्सा नहीं।
3. लाभ न होने पर	यदि किसी वर्ष में कम्पनी को लाभ न हो तो इसके धारक को कुछ भी नहीं मिलेगा।	लाभ नहीं होने पर भी इसके धारक को नियत दर से ब्याज अवश्य ही मिलेगा।
4. धारक का नाम	अंश के धारक को अंशधारी कहते हैं।	ऋण-पत्र के धारक को ऋणपत्रधारी कहते हैं।
5. सदस्यता	अंशधारी कम्पनी का सदस्य होता है।	यह कम्पनी का सदस्य नहीं होता, अपितु ऋणदाता होता है।
6. प्रबन्ध में भाग	अंशधारी संचालक के पद पर चुना जाकर कम्पनी के प्रबन्ध में भाग ले सकता है।	ऋण-पत्र के धारक को कम्पनी के प्रबन्ध में भाग लेने का प्रश्न ही नहीं उठता।
7. भुगतान	एक कम्पनी अपने जीवन-काल में अंश का भुगतान नहीं कर सकती। हाँ, केन्द्रीय सरकार की अनुमति लेकर एवं विशेष प्रस्ताव पास करके अंश-पूँजी में कमी की जा सकती है।	यह कम्पनी के ऊपर ऋण के रूप में होता है। अतः इसका भुगतान नियत अवधि में करना होता है।

Scanned with CamScanner

8. समापन की दशा में	कम्पनी के समापन की दशा में अंश का भुगतान ऋण पत्र के भुगतान के बाद किया जाता है, पहले नहीं।	ऋण-पत्र का भुगतान अंश के भुगतान के पहले किया जाता है, बाद में नहीं।
9. प्रकार	अंश केवल दो प्रकार के होते हैं:- (1) साधारण अंश, और (2) पूर्वाधिकार अंश।	ऋण-पत्र अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे- (1) साधारण, (2) बन्धक, (3) वाहक, (4) रजिस्टर्ड, (5) शोध्य, और (6) अशोध्य आदि।

Scanned with CamScanner

Q.No. 6 → अंशों की जब्ती / हरण क्या है ?
(Forfeiture of Shares)

उत्तर → अंशों का हरण या जब्ती का अर्थ :-

जब अंशों की राशि किस्तों में भुगतान होती है तब प्रायः यह देखा जाता है कि अंशधारी एक या अधिक किस्तों की राशि चुकाने में असमर्थ रहते हैं। यदि सूचना के बाद भी बकाया रखने वाला अंशधारी अदत्त राशि नहीं चुकाता है तो कम्पनी या तो (1) दोषी अंशधारी पर न चुकाई हुई मांग की प्राप्ति के लिए मुकदमा चला सकती है, या (2) वह ऐसे अंशों का हरण कर सकती है। इसमें प्रथम विधि को उपयुक्त नहीं माना जाता है। अतः नियमानुसार अंशों का हरण किया जाता है।

अंशों के हरण या जब्ती से अभिप्राय है कि जो अंशधारी अंशों की माँगी हुई रकमें को नहीं चुकाता है उसका नाम सदस्य रजिस्टर से काट दिया जाता है और उसने जो रकम अंशों पर चुकायी हुई है, वह रकम जब्त कर ली जाती है। अंशधारी द्वारा चुकायी राशि पर कम्पनी का अधिकार हो जाता है। इस प्रकार अंशों की जब्ती होने पर एवं अंशधारी के पूँजी खाते बन्द कर दिए जाते हैं और जब्त की गयी राशि 'जब्त अंश खाते (Forfeited share Account) में डाल दी जाती है।

हरण की पद्धति (Procedure of Forfeiture) :-

अंशों की जब्ती सम्बन्धी नियम कम्पनी के अन्तर्नियमों में दिये रहते हैं। यदि अन्तर्नियमों में स्वयं कोई नियम न दिये हों और इस सम्बन्ध में तालिका 'अ' के ~~प्रतिबन्ध~~ ~~का~~ प्रयोग पर भी प्रतिबन्ध हो, तो अंश को जब्त नहीं किया जा सकता है।

यदि कम्पनी को अंश जब्त करने का अधिकार हो तो जब्ती का हरण विधि इस प्रकार होगी :-

(1) स्मरण-पत्र भेजना :-

Scanned with CamScanner

दोषी अंशधारियों को याचना का स्मरण पत्र भेजा जायेगा, जिसमें उन्हें एक निश्चित अवधि तक ब्याज सहित याचना राशि के भुगतान का समय दिया जायेगा।

(2) अदत्त याचना की सूची बनाना :-

याचना के भुगतान की देय तिथि की समाप्ति पर कम्पनी की सचिव ऐसे अंशधारियों की एक सूची बनाता है जिन्होंने निश्चित राशि का भुगतान नहीं किया है। इस सूची को संचालक सभा में पेश किया जाता है।

(3) अंतिम चेतावनी :-

संचालकों के आदेश से याचना राशि का भुगतान नहीं करने वाले सदस्यों को अन्तिम चेतावनी के रूप में रजिस्टर्ड डाक के 14 दिन की सूचना पर राशि के भुगतान का एक मौका और दिया जाता है इस सूचना में इस बात का भी उल्लेख रहता है कि भुगतान नहीं करने पर उनके अंशों का हरण किया जा सकता है।

(4) हरण के लिए प्रस्ताव पारित करना :-

अंशों के हरण के लिए संचालक सभा में एक प्रस्ताव पारित किया चाहिए।

(5) नाम काटना :-

अंशों की जब्ती के बाद सम्बन्धित अंशधारियों के नाम सदस्यों के रजिस्टर से काट दिये जाते हैं।

(6) राशि का हस्तांतरण :-

हरण किये हुए अंशों पर पहले से प्राप्त रकम को 'अंश हरण खाता' में हस्तांतरित कर दिया जाता है।

(7) लिखित घोषणा :-

अन्त में कम्पनी एक 'लिखित घोषणा' निकालती है जिसमें इस बात का उल्लेख रहता है कि किन किन अंशों का हरण किया गया है।

Scanned with CamScanner